



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग-6)



☎ 0141-2227052

✉ pdsap-rd-rj@gov.in

Website: rdprd.gov.in

पत्रांक एफ 7(119)ग्रावि/अनु.-6/लेखा/2015-16/भाग-2/जयपुर, दिनांक
2655-2723

~~02 SEP 2022~~
10 SEP 2022

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद समस्त।

विषय:- विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत माननीय विधायको महोदयों को को अवगत करवाने हेतु।

संदर्भ:- जनलेखा समिति की कार्यवाही विवरण एवं वित्तीय सलाहकार ग्रावि की अ.शा. टीप क्रमांक 5576-77, दिनांक 23.08.2022।


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत जनलेखा समिति द्वारा विधायकगणों को निम्न सूचना वर्ष में एक से अधिक बार अवगत करवाये जाने हेतु निर्देशित किया है -

1. कितनी राशि की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी है।
2. कितनी राशि का उपयोग किया जा चुका है।
3. कितनी राशि की स्वीकृतियां जारी की जा सकती है।


अतः जनलेखा समिति द्वारा प्रदान निर्देशों की अनुपालना में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में त्रैमासिक रूप से संबंधित विधायकगणों को उक्त सूचना से अवगत कराया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय,


(ओमकारेश्वर शर्मा)
परियोजना निर्देशक एवं
पदेन उप सचिव (SAP)

प्रतिलिपी :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं -

1. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
2. जिला कलक्टर - समस्त।
3. वित्तीय सलाहकार ग्रावि।
4. प्रोग्रामर, ग्रावि को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


परियोजना निर्देशक एवं
पदेन उप सचिव (SAP)